396

संख्या–249/X–2–2016–12(99)/2013

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 **देहरादून दिनांक 15 फरवरी 2016**

विषयः वित्तीय वर्ष 2015–16 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर योजना "बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन" हेतु द्वितीय किस्त का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड के पत्र संख्या नि0–1360/3–5(बुग्याल) दिनांक 18.01.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुदान सं0–27 के अंतर्गत राज्य सैक्टर की आयोजनागत पक्ष की योजना **"बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन"** हेतु पूर्व में अवमुक्त ₹20.00 लाख के अतिरिक्त वर्तमान में निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार **₹30.00 लाख (₹तीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार ₹ में)

लेखा शीर्षक/मानक मद योजना का नाम	आवंटित धनराशि
2406–वानिकी तथा वन्य जीवन 01–वानिकी 800–अन्य व्यय 39–बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन	
25–लघु निर्माण कार्य	500
29–अनुरक्षण	1500
42–अन्य व्यय	1000
योग	**3000**

1. मानक मद 25–लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से यदि निर्माण कार्य प्रस्तावित हो तो निर्माण कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो अर्थात इस धनराशि से ₹5.00 लाख तक की ही लागत के निर्माण कार्य कराये जाए। सर्वप्रथम गत वर्षो के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाय, तदोपरांत ही नए कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय।
2. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.15 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध हैं, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।
4. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

.....2

5. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त ही कार्य किये जाय।
7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
9. धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा यदि उक्त तिथि के पश्चात कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे निमयानुसार राजकोष में समर्पित कर दिया जायेगा।
10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–638/XXX–1–12(25) 2011, दिनांक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय–समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के आयोजनागत पक्ष में उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्षक की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0–S1602270307 दिनांक 15.02.2016 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–400/XXVII(1)/2015 दिनांक 01.04.2015 एवं शासनादेश संख्या 1386/XXVII(1)/2015 दि0 17.11.2015 के अनुपालन में जारी किये जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–249/X–2–2016–12(99)/2013 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20152016

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **249/X-2-2016-12(99)/2013**

अनुदान संख्या - **027**

अलोटमेंट आई डी - **S1602270307**

आवंटन पत्र दिनांक -15-Feb-2016

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन

800 - अन्य व्यय

00 - बुग्यालों की सुरक्षा

01 - वानिकी

39 - बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्रन

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
25 - लघु निर्माण कार्य	500000	500000	1000000
29 - अनुरक्षण	1500000	1500000	3000000
42 - अन्य व्यय	0	1000000	1000000
	2000000	**3000000**	**5000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 3000000